न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 01/2015 जिला अलवर ।

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. बालासहाय जाति महाजन निवासी ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री बालासहाय जाति महाजन निवासी करवा थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर–मृतक
1/1. रोहिताश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी परसावाली गेट थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
1/2. राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी न्यू कालोनी फील्ड के पास थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
1/3. अनुराधा पत्नी राधेश्याम पुत्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी प्लाट सं. 80 श्याम किराना डिपोर्टमेंटल स्टोर सालासर मिष्ठान वाली गली, मुरलीपुरा दादाजी की फाटक पुलिया के पास जयपुर।
1/4. सुमन पत्नी कुलदीप पुत्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी चौबे का मौहल्ला बहरोड जिला अलवर।
1/5. ज्योति पत्नी दीपक पुत्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी हाउस नंबर 710 सैक्टर 37 नोएडा उत्तर प्रदेश।
2. सूरजमल उर्फ सूरजभान पुत्र बालासहाय जाति महाजन निवासी 2/522 अरावली बिहार काला कुआ अलवर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर दिनांक 26.12.2014 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सोहन लाल शर्मा।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 श्री जनार्दन शर्मा।

निर्णय

दिनांक–30.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 26.12.2014 के खिलाफ दिनांक 12.01.2015 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा शीर्षक अपील जगदीश बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2014 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर को रिमांड किया गया
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2014 तथा तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर का निर्णय दिनांक 09.09.2005 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से कोई उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट् के पिता स्व. बालासहाय ने अपीलांट् की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये और अपीलांट् द्वारा की गई सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपनी मत्यु से पूर्व अपनी कृषि भूमि एवं ग्राम हरनेर में अपनी अचल सम्पति की अपीलांट् के हक में दिनांक 01.01.1992 को वसीयत लिख दी। इसी वसीयत में पिताजी ने थानागाजी की हवेली एवं अपने मकान बनाने हेतु कुछ रकम रेस्पोडेंट को दे दी। अपीलांट् अपने पिता के स्वर्गवास दिनांक 23.07.1997 के बाद से वसीयत में दी गई सम्पति पर बतौर मालिक खातेदार काबिज है। अपीलांट के पिता स्व. बालासहाय की मृत्यु के पश्चात अपीलांट् ने उक्त वसीयत की नकल लगाकर एक प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर अपने नाम वसीयत की गई आराजी पर इंतकाल दर्ज कर स्वीकार करने के लिये तहसीलदार थानागाजी के समक्ष पेश किया। रेस्पोडेंट ओमप्रकाश को अपीलांट् के प्रार्थना पत्र की जानकार हुई तो उसने दिनांक 30.11.1992 की वसीयत के बावत अपीलांट् को एक नोटिस दिया और उसके बाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) थानागाजी के यहां रेस्पोडेंटस ने एक दावा उनवानी ओमप्रकाश वगैराह बनाम जगदीश बावत शून्य करार दिये जाने वसीयतनामा दिनांक 21.04.2001 को दावा पेश किया। जिसपर मा0 न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2012 के द्वारा वयीसतनामा को वैध मानते हुये तथा दावा मियाद बाहर होना मानते हुये दावा खारिज कर दिया जिस पर उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ रेस्पोडेंटस ने अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 02 अलवर के यहां लम्बित हैं उक्त अपील में कोई स्थगन आदेश जारी नही है। तहसीलदार थानागाजी ने इन्तकाल के प्रकरण में दिनांक 23.05.2003 की आदेशिका में यह अंकित कर कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां पत्रावली चल रही है इसलिये कोई कार्यवाही नही की गयी। उसके बाद दिनांक 09.09.2005 को बिना कोई नोटिस दिये व बिना सुनवाई के तहसीलदार थानागाजी ने वारिसान का प्रकरण होने और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जिला न्यायाधीश अलवर से प्राप्त करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलांट ने अपील दिनांक 05.09.2012 को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के यहां प्रस्तुत की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.12.2014 के द्वारा तहसीलदार थानागाजी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जो निर्णय विधि विरूद्ध व क्षैत्राधिकार विहीन है। वसीयतनामे की वैधता तय करने का क्षैत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। जब सिविल न्यायाधीश क.ख. थानागाजी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2012 के द्वारा वसीयत को साबित मानते हुये रेस्पो. का दावा बाबत शून्य करार दिये जाने वसीयत खारिज कर दिया तब इस निर्णय व डिक्री को राजस्व न्यायालय या तहसीलदार थानागाजी ना तो रिव्यू कर सकते है और ना ही निरस्त कर सकते है। अतः अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित निणर्य दिनांक 26.12.2014 विधि विरूद्ध एवं बिना क्षैत्राधिकार में होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

Scanned by CamScanner

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2015 तथा तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर का निर्णय दिनांक 09.09.2005 निरस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वसीयत के जांच के आदेश में कोई त्रुटि नही हैं। दिनांक 30.11.1992 की वसीयत के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) थानागाजी के यहां रेस्पोडेंटस ने एक दावा उनवानी ओमप्रकाश वगैराह बनाम जगदीश बाबत शून्य करार दिये जाने वसीयतनामा दिनांक 21.04.2001 को पेश किया। जिसपर मा0 न्यायालय ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 03.05.2012 के द्वारा वयीसतनामा को वैध मानते हुये तथा दावा मियाद बाहर होना मानते हुये दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिकी के खिलाफ रेस्पोडेंटस ने अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 02 अलवर में प्रस्तुत की है जो अभी लम्बित हैं तथा वसीयत का अंतिम निर्धारण नही हुआ हैं। जब तक वसीयत का अंतिम निर्धारण नही हो जाता तब तक नामान्तकरण की प्रकिया को लम्बित रखा जाना चाहिये। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में वसीयतनामा की जांच कर एवं विधि अनुसार सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को रिमाण्ड किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्व0 बालासहाय द्वारा अपनी मत्यु से पूर्व अपनी कृषि भूमि एवं ग्राम हरनेर में अपनी अचल सम्पति की अपीलांट् के हक में दिनांक 01.01.1992 को वसीयत लिखी गई है। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट् ने अपने पिता स्व. बालासहाय की मृत्यु के पश्चात एक प्रार्थना पत्र अपने नाम वसीयत की गई आराजी का इंतकाल दर्ज कर स्वीकार करने के लिये तहसीलदार थानागाजी के समक्ष पेश किया गया था। तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर द्वारा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल के प्रकरण में दिनांक दिनांक 09.09.2005 को बिना कोई नोटिस दिये व बिना सुनवाई के तहसीलदार थानागाजी ने वारिसान का प्रकरण होने और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जिला न्यायाधीश अलवर से प्राप्त करने का निर्देश दिया जबकि अधिवक्ता अपीलांट का कथन था कि अपीलांट् के पक्ष में उनके पिता स्व0 बालासहाय द्वारा लिखी गई वसीयत के संबंध में रेस्पोडेंटस के द्वारा मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) थानागाजी के यहां प्रस्तुत दावा उनवानी ओमप्रकाश वगैराह बनाम जगदीश बाबत शून्य करार दिये जाने वसीयतनामा में मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) थानागाजी ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 03.05.2012 के द्वारा अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत को साबित मानते हुये रेस्पो. का दावा खारिज कर दिया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 09.09. 2005 के विरूद्ध प्रथम अपील में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश जारी कर वसीयत की जांच करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये है। तहसीलदार वसीयत की जांच करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नही है। सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत को शून्य करार दिये जाने बाबत प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि अपीलांट के हक में निष्पादित वसीयत दिनांक 01.01.1992 की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगता हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मृतक काश्तकार के काश्तकारी अधिकारो का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

हस्तानान्तरण वसीयत होने की स्थिति में वसीयती के हक में किया जाना बाध्यता है। काश्तकार की निर्वसीयती मृत्यु होने पर ही उत्तराधिकारिता का प्रश्न उत्पन्न होता हैं। अतः हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा इन विधिक तथ्यो की अनदेखी कर आदेश पारित किये गये है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2014 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2005 को निरस्त किया जाता है तथा मुताबिक वसीयत अपीलांट् के हक में नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner